व 2 की संयुक्त खातेदारी घोषित कर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बोड़वा के खसरा नं. 1044 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नं. 307 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, खसरा नं. 962 रकबा 1.9668 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 1233/307 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी घोषित कर भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 राजूराम गोदारा उर्फ राजाराम के बंट में मौजा बोड़वा तहसील जायल का खेत खसरा नं. 962 रकबा 1.9668 हैक्टेयर पूरा तथा खसरा नं. 307 रकबा 1.6106 हैक्टेयर में से उत्तरी तरफ का 1.0846 हैक्टर भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 श्रीपाल गोदारा के बंट में मौजा बोड़वा तहसील जायल का खेत खसरा नं. 1044 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा नं. 1233/307 रकबा 0.2428 हैक्टेयर पूरा तथा खसरा नं. 307 रकबा 1.6106 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ का 0.5260 हैक्टेयर भाग रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग माना जावेगा।
5. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner